

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज _____ 18 _____ / 15-16 / 308 / भू0अ0, दिनांक- 20.5.17

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना पतना-हिरणपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु, मौजा-मोदीकोला थाना-रांगा, थाना सं0-51, अंचल-पतना, जिला-साहेबगंज में कुल-0.045 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.045 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
01	58	1228 अंश	रैयती	धानी-2	0.045	चेतन मरांडी व हराधन मरांडी, पे0-मुचिा मरांडी	विजयपुर 50 की सीमा	केन्दुआ नं0-52 की सीमा	विशनपुर नं0-53 की सीमा	1226 अंश, 1228 अंश

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं0-..... X, अंचल-..... X, जिला-.....X....., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे0 जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।




उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 308...../भू0अ0, साहेबगंज, दिनांक 20.5.17.....

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।